in respect of sales and purchase of shares and securities only;

(ii) The members should ensure that any information given in the advertisement must be correct and accurate and contain matters of objectively ascertainable facts which should be capable of substantiation.

(iii) The member-broker should submit a copy of the advertisement to the Stock Exchange authorities and Securities and Exchange Board of India -as it is published.. The Exchange Authorities will have the cease and desist powers in this behalf.

(c) Any member who violates the Regulation of the Exchange fo>r advertisement is liable to be penalised by the Exchange authorities and/or the SEBI.

भारतीय रिजर्व बैंक में टंककों की नियुक्ति

2544. श्री चतुरानन मिश्र : क्या वित्त मंत्री 15 दिसम्बर, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3269 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1990 से अब तक भारतीय रिजर्व बैंक की दिल्ली शाखा में कितने टंकक, लिपिक और सिक्का नोट परीक्षक पद के लिये पात्रता प्राप्त कर चुके हैं और इन पदों को भरने के लिये दिल्ली शाखा ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) टंककों के कितने और पद इन पदों के लिपिकों/सिक्का/नोट परीक्षक के पदों पर परिवर्तन और अन्य कारणों से रिक्त होंगे और टंककों के कितने पद रिक्त होने की संभावना है;

(ग) पात्र टंककों के पदों के लिपिक और सिक्का नोट परीक्षक के पदों में परिवर्तन और रिक्त पदों पर नियुक्तियों की स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सितम्बर, 1990 में 30 रिक्त पदों के लिये जिन 28 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई थी उन की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सितम्बर 1990 से भारतीय रिजर्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में लिपिक/सिक्का नोट परीक्षक ग्रेड-II के संयुक्त संवर्ग में आने के लिये 23 टंकक पात्र हो गये हैं । अलबत्ता, इस प्रकार के परिवर्तन की तभी अनुमति दी जाती है जब रिक्तियां उपलब्ध होती हैं ।

चूंकि संयुक्त (कामन) कैडर में कोई रिक्ति नहीं है अतः अभी तक ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है और इसलिये टंककों की रिक्तियां का प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त कैडर में पदों का सृजन कार्यालय में काम की मात्रा पर निर्भर करता है और इस प्रकार पात्र टाइपिस्टों को लिपिक और सिक्का/नोट परीक्षक में परिवर्तित करने के लिये किसी कार्यक्रम का संकेत नहीं दिया जा सकता है ।

Premissio nto private corporate bodies to accept NRI deposits

2545. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) Whether there is any proposal to permit private corporate bodies to accept NRI deposits and if so, what are the details thereof; and

(b)what steps are being taken to use the contacts and goodwill enjoyed by the Indian private sector to mobilise the funds from NRIs?

THE MINISTER OF STATE - IN THE MINISTRY OF FINANCE AND